भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024
फोन :– (0755) 2478250 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896
e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की ई-निविदा क्र.2021_MPCDF_146505_1 के संदर्भ में शुद्धि पत्र (कॉरीजेन्डम)

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के हबीबगंज स्थित फैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन हेतु आमंत्रित की गई ई–निविदा क्र.2021_MPCDF_146505_1 के पृष्ठ क्र.05 फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें के बिन्दु क्र.04 में " **जमानतदार जमानत देने पर यदि एजेन्ट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है, तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा परन्तु जमानतदार की संपत्ति संबंधी ब्यौरा का उल्लेख भी होना आवश्यक है ताकि वसूली सुनिश्चित की जा सके।"** वर्णित किया गया है, जिसे "**यह कि निविदाकार को अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियों की रूपये 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा (जिसमें एक सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है) तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामें के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह सफल निविदाकार एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। इस हेतु जमानतदार की संपत्ति संबंधी ब्यौरा का उल्लेख होना भी आवश्यक है। सफल निविदाकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।"** पढ़ा जाए।
2. ई–निविदा क्र.2021_MPCDF_146505_1 के पृष्ठ क्र.05 फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें के बिन्दु क्र.06 में "**अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।"** वर्णित किया गया है, जिसे "**फैक्ट्री गेट पार्लर संचालक हेतु दुग्ध संघ द्वारा न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू.300000/– (तीन लाख रूपये मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।"** पढ़ा जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी